

फर्द अहकाम

सीताशम बनाम जॉन्स शम

नाम न्यायालय S D O शाहपुरा

केस संख्या 37/2017 दाय 53,188 अ.न.न.न

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विश
	19/6/18	<p>आज मक पलावली राजस्व बोन अशालत केस                      खोराबाउ खानी में पेशकई, प्रकरण में फर                      बटवारा दिपाई जपू हो चुकी है।</p> <p>प्रकरण संक्षेप में कि प्रकरण है कि आख-                      न-3628/0-15, 3629/0-47, 3630/0-56, 3631/                      0-59, 3633/0-37, 3638/0-57, 3639/0-74,                      3640/0-37 है- कुल कित 8 टुकड़ा 3-67 है                      बने गाम खोराबाउ खानी तब-शाहपुरा                      जमपुर में स्थित है। इसमें बदीगण व                      परिवारिक का 1/2 व 1/2 हिस्सा राजस्व                      रिमाई में रहे है। उक्त आशली बदीगण व                      परिवारिक की शामिल की गयी है इसका                      कानूनी बटवारा नहीं हुआ है। लेकिन                      बातची बटवारे अनुसार कबिल रहकर मशरू                      कर रहे है। ख-न-3629/0-47, 3630/0-56,                      3631/0-59 है- कुल कित 3 टुकड़ा 1-62 है-                      कानूनी बटवारा व 2 के है तथा ख-न-                      3638/0-57, 3639/0-74, 3640/0-37 कुल कित 3                      टुकड़ा 1-68 है- व ख-न- 3633/0-37 है- मंते                      3633/0-155 है- कानूनी परिवारिक को बटवारे                      बदीगण को बटवारे में ही आवे। ख-न-                      3628/0-15 है- कानूनी शामिल में केसी मशरू                      उक्त कानूनी नले आ है। बिलको डीक करके दोरी                      पक्षकार शामिल में बराबर बराबर बंटे लेगे।                      दि-2017/17 को परिवारिक कावनी बटवारा                      कर आशली बाहिर की ओर कना कि प्रकरणे                      पास अलिफ कानूनी में पास कानूनी कानूनी                      इस कारण बाद पेश करना आवश्यक हुआ।                      मन्त्र ने सिबंदन किया कि उक्त आशली का                      कानूनी बटवारा कर राजस्व रिमाई में                      अन्त दराजद गी दिया जावे।</p>	

आज्ञा या ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	----------------------	-------------

118 उक्त रकम रजिस्टर किया जाकर उ विवादीय  
 को नॉटिस जारी किए गए। उ विवादीय  
 बाद वाली उपस्थित नहीं। उनके बिक्रय  
 एकपक्षीय भागवती अदालत में बाई गई।  
 दिनांक 15/11/2017 को उक्त को उपस्थित  
 डिक्री किया जाकर तकनीकीय शाहपुरा से  
 बरबारा उस्ताव अंगवामे गए। तकनीकीय  
 शाहपुरा से दिनांक 19/6/18 को बरबारा  
 उस्ताव प्राप्त हुए। बरबारा रिपोर्ट व पतावली  
 का अवलोकन किया गया। बरबारा रिपोर्ट  
 सही ठोस की गई है।

अतः दावा दावम्ब लोक अदालत की  
 जावना से तकनीकीय शाहपुरा से प्राप्त बरबारा  
 रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता  
 है। आ.ख.न-3628/0-15, 3629/0-47, 3630/  
 0-56, 3631/0-59, 3633/0-37, 3638/0-57, 3639/  
 0-74, 3640/0-37 के कुल किता 8 रकबा 3-67 हे  
 वाके गम स्वो शहाउद्दानी तकनीकीय शाहपुरा  
 अमपुर के खातेदार के अन्ध निम्न बरबारा  
 किया जाता है उके पृथक पृथक खातेदार का शतक  
 घोषित किया जाता है।

- (1) बारीस. 1, न 2 के बरबारे में आ.ख.न-3629/0-47,  
 3630/0-56, 3631/0-59, 3633/0-37, रकबा 0-2150 कुल किता 4  
 रकबा 1-8350 के अन्ध निम्न में रहेगी।
- (2) उमि. स. 1 अगा. 3 के बरबारे में आ.ख.न-3638/0-57,  
 3639/0-74, 3640/0-37, 3633/0-1550 कुल किता 4 रकबा  
 1-8350 के अन्ध निम्न में रहेगी।
- (3) नदीगन व उमि. स. 1 अगा. 3 के अन्धनुसार आ.ख.न-  
 3628/0-15 के अन्ध निम्न शाहपुरा में रहेगी।

रिपोर्ट बरबारा व नक्शा इस निर्णय का  
 मुज रहेगा। तसनुसार दावम्ब रिपोर्ट में अतः शतक  
 किया जावे। पक्ष डिक्री जारी हो।  
 आदेश सुनाया गया। म. तावली फौजदारी उमर  
 को कर के वर से कम दो।

(रवि विजय)  
 उप. खण्ड अधिकारी  
 बरबारा